सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-4926/JH/85/2025-RU-IV दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला-गुमला,
उपायुक्त का कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
गुमला, झारखंड 835207
ई-मेल: dc-gum@nic.in

विषय: **गुमला (झारखण्ड़) के जिलाधीश पर अनुसूचित जनजातियों पर तथाकथित अपराध के लिए अनुसूचित जनजाति अपराध उद्दीपन (POA) के अधीन केस दर्ज करने के संबंध में – श्री असरीत मिंज, न्यू पुलिस लाइन, पोस्ट-असनी, जिला-गुमला (झारखंड़) का दिनांक 08.04.2025 का पत्र/अभ्यावेदन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्री असरीत मिंज
पोस्ट- असनी, न्यू पुलिस लाइन गुमला,
जिला गुमला, झारखंड-835207

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-4926/JH/85/2025-RU-IV

श्री असरीत मिंज, न्यू पुलिस लाइन, पोस्ट-असनी, जिला-गुमला (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "गुमला के जिलाधिकारी के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति समुदाय की भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने" के मामले में दिनांक 05.06.2026 को सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड में आयोग के समक्ष हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक: 05.06.2026

सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

अभ्यावेदक श्री असरीत मिंज, न्यू पुलिस लाइन, पोस्ट-असनी, जिला-गुमला (झारखंड) द्वारा दिनांक 08.04.2025 को आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।अभ्यावेदन में श्री असरीत मिंज ने आरोप लगाया है कि गुमला जिले में अनुसूचित जनजाति समुदाय की भूमि के कथित हस्तांतरण एवं उससे संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त प्रकरण में तत्कालीन/संबंधित जिलाधिकारी, गुमला की भूमिका की जांच की जानी चाहिए तथा उनके विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए। अभ्यावेदक का यह भी कहना है कि संबंधित कार्रवाई से अनुसूचित जनजाति समुदाय के भूमि अधिकारों एवं संवैधानिक संरक्षणों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आयोग से मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।अभ्यावेदक ने अपने आवेदन में कथित क्षति के लिए जिलाधिकारी, गुमला से हर्जाना वसूल किए जाने की मांग भी की है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 13.05.2025 को उपायुक्त, गुमला (झारखंड) को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

3. मामले की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उपायुक्त, गुमला (झारखंड) को माननीय सदस्या डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को गुमला, झारखंड में निर्धारित सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु सिटिंग नोटिस जारी किया गया है।

4. सुनवाई में उपायुक्त, गुमला व् अभ्यावेदकगण उपस्थित रहे

5. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, गुमला तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-43 के छत्तीसगढ़/झारखंड सीमा से गुमला खंड तक पथ

आशा लकड़ा

निर्माण/चौड़ीकरण योजना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम की धारा 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(G) एवं 3(H) के तहत निर्धारित सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है। प्रभावित रैयतों की आपत्तियों एवं मुआवजा संबंधी दावों पर भी मध्यस्था न्यायालय द्वारा सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय लिया गया तथा संशोधित मुआवजा निर्धारण के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा निर्धारण की समस्त कार्रवाई विधि एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप की गई है। उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन से भी संविधान अथवा विधिक प्रावधानों के उल्लंघन का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता है।

6. **मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है**

I. उपायुक्त-सह-जिलादंडाधिकारी, गुमला द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 29.05.2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में आयोग की ओर से किसी अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, इसी विषय से संबंधित प्रकरण संख्या NCST/ATY-3685/JH/270/2026-RU-IV (श्री पुनेश्वर उरांव, मौजा-परसा, प्रखंड-बसिया, जिला-गुमला, झारखंड) में आयोग द्वारा आवश्यक अनुशंसाएँ पूर्व में ही जारी की जा चुकी हैं। अतः वर्तमान मामले में पृथक रूप से किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए यह मामला आयोग में बंद किया जाता है।

12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डा. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

नोट: प्रकरण संख्या NCST/ATY-3685/JH/270/2026-RU-IV (श्री पुनेश्वर उरांव, मौजा-परसा, प्रखंड-बसिया, जिला-गुमला, झारखंड) की अनुशंसाएँ साथ में संलग्न कर प्रेषित की जाए